राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 216 / 2024

भवानी शंकर चावला **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, कोटपूतली बहरोड़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर ग्रामीण।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.02.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बांसशेखावत, बानसूर, जिला अलवर (वर्तमान कोटपूतली बहरोड़) में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2023 के द्वारा विज्ञप्ति महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये जारी की गई। अपीलार्थी उक्त पदस्थापन हेतु सभी योग्यताएं रखता है। अपीलार्थी ने ऑनलाईन फॉर्म दिया, जिसमें प्रथम च्वाइस जयपुर, दूदू एवं कोटपूतली बहरोड तदुपरान्त अपीलार्थी ने परीक्षा में भाग लिया और पूर्णांक 30 में से 24 अंक प्राप्त किये और आदेश दिनांक

05.10.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यर्थी के च्वाइस एवं मेरिट के आधार पर पदस्थापन आदेश जारी किये गये। उनका कथन है कि अभ्यर्थी दीपक कुमार योगी, जिसने 22.25 अंक प्राप्त किये और उसे गृह जिला कोटपूतली बहरोड आंवटित किया गया, परंतु अपीलार्थी ने उससे अधिक 24 अंक प्राप्त किये। परंतु अपीलार्थी को गृह जिला आवंटित नहीं किया गया, जो उक्त नियमों के विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर अंग्रेजी माध्यम में मेरिट, योग्यता एवं उसके द्वारा दिये गये विकल्प पत्र के आधार पर उसे पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा जयपुर शहर को प्रथम विकल्प के रूप में चयनित किया गया तथा जयपुर शहर में अन्य जिले से चयनित किसी भी कार्मिक को पदस्थापित नहीं किया गया। कार्मिक दीपक कुमार योगी के द्वारा प्रथम विकल्प के रूप में कोटपूतली बहरोड का चयन किया गया और उसे मेरिट में स्थान बनाने के कारण कोटपूतली बहरोड पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी द्वारा विकल्प पत्र में जयपुर जिला अंकित किया गया और जयपुर जिले में जयपुर जिले से 8 कार्मिकों को पदस्थापित नहीं किया जा सका, जिसमें जयपुर जिले के ही 8 कार्मिक शेष हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष तर्कहीन है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बांसशेखावत, बानसूर, जिला अलवर (वर्तमान कोटपूतली बहरोड़) में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2023 के द्वारा विज्ञप्ति महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये जारी की गई। अपीलार्थी उक्त पदस्थापन हेतु सभी योग्यताएं रखता है। अपीलार्थी ने ऑनलाईन फॉर्म भरा, जिसमें प्रथम च्वाइस जयपुर, दूदू एवं कोटपूतली बहरोड अंकित किया। परंतु आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अभ्यर्थी के च्वाइस एवं मेरिट के

आधार पर पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया। जबकि अभ्यर्थी दीपक कुमार योगी, जिसने 22.25 अंक प्राप्त किये और उसे गृह जिला कोटपूतली बहरोड आंवटित किया गया, परंतु अपीलार्थी ने उससे अधिक कुल 24 अंक प्राप्त किये फिर भी अपीलार्थी को गृह जिला आवंटित नहीं किया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विकल्प अनुसार मेरिट एवं योग्यता के आधार पर गृह जिला आवंटित नहीं किया जा सकता। विज्ञप्ति एवं परिणाम आदि के अवलोकन से प्रकट है कि अभ्यर्थियों को मेरिट कम योग्यता के आधार पर उनके द्वारा भरे गये विकल्प को ध्यान में रखते हुये गृह जिला आवंटित किये गये हैं, परंतु अपीलार्थी के संदर्भ में मेरिट एवं योग्यता के आधार पर जिला आंवटित किया जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी को उसकी मेरिट एवं योग्यता के आधार पर उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प को ध्यान में रखते हुये यदि अंग्रेजी माध्यम अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय का रिक्त पद उपलब्ध है तो उसे विकल्प के आधार पर जिला आवंटित किया जावे।

उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य